फर्द अहकाम

गुलाब देवी बनाम ग्राम पंचायत दांतली वगै0

संख्या: 3 / 2021

	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थीया ने अपील अन्तर्गत धारा 76, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 04.01.1998 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत दांतली, पंचायत समिति सांगानेर, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर अन्तर्गत नामान्तकरण संख्या 67 दिनांक 04.01.1998 का पेश किया। अपीलार्थीया उपस्थित। प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर पर वहस अपीलान्ट सुनी गई। दौराने वहस वकील अपीलान्टर ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं निवेदन किया कि अपीलार्थी की ओर से पेश अपील अन्तर्गत धारा 76, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 04.01.1998 द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत दांतली, पंचायत समिति सांगानेर,, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर अन्तर्गत नामान्तकरण संख्या 67 दिनांक 04.01.1998 स्वीकार फरमायी जाकर ग्राम पंचायत, दांतली द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 67 दिनांक 04.01.1998 को अपीलार्थीया के हक एवं अधिकारों के विरूद्ध खारिज फरमाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। वहस वकील अपीलार्थीया एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर अपीलार्थीया की ओर से पेश अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Himmat Singh Date: 2025.02.10 13:40:16 IST Reason: SelfAttested (हिम्मत [illegible]) आर.ए.एस. उपखण्ड कारी जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर	